

6th India Water Impact Summit IWIS 2021

Valuing Water | Transforming Ganga

9 – 14, December 2021 | Hybrid Mode (Physical + Virtual)

Venue: New Delhi

River Resources Allocation “Planning and Management at the Regional Level”

नदी संसाधन निर्धारण “क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन”

Lead Organisers



सत्यमेव जयते

Government Of India



cGanga

Centre for Ganga River Basin Management and Studies
Indian Institute of Technology Kanpur




NMCG

National Mission for Clean Ganga
Ministry of Jal Shakti, Government of India

THE EVENT IS STRICTLY BY INVITATION ONLY

Please note that this is a non-profit activity. All net proceeds will go towards funding research for conserving rivers and other waterbodies

5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 – एक झलक



नदी संसाधन निर्धारण - “क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन”

इस वर्ष का शिखर सम्मेलन नदी संसाधन निर्धारण के विषय पर आधारित है। नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। नदी संरक्षण तभी संभव है जब नदी और उससे जुड़े संसाधनों का नदी के समूचे बेसिन क्षेत्र में सुनियोजित और व्यवस्थित उपयोग हो, चुनिंदा क्षेत्रों में मनचाहे ढंग और मनमाने समय पर नदी और उसके संसाधनों का दोहन, संरक्षण में बाधक है। संसाधनों के सुनियोजित उपयोग के लिए आवश्यकता है— नदी एवं उसके संसाधनों, नदी से प्राप्त मूल्यवान वस्तुओं को हासिल करने के लिए नदी के समूचे मार्ग में मानवीय हस्तक्षेप के पूर्व-मूल्यांकन की। नदी और नदी से प्राप्त संसाधनों के निर्धारण और आवंटन की एक ऐसी एकीकृत कार्ययोजना की आवश्यकता है जो नदी से जुड़े छोटे से छोटे हितग्राही से लेकर वृहद हितग्राही जैसे राज्य और राष्ट्र को ध्यान में रखकर बनाई जाए।

विशाल नदियां संसाधनों से समृद्ध होती हैं, मनुष्य ने आदिमानव से आधुनिक मानव में परिवर्तित होने की यात्रा में इन संसाधनों का भरपूर दोहन किया। जंगल में कंदमूल खोजकर खाने वाले आदिमानव से लेकर आज के औद्योगिक युग तक विकास के हर पायदान को पार करने के बाद नदियों से प्राप्त संसाधनों का दोहन बढ़ता गया। औद्योगिक युग से पहले नदियों से प्राप्त संसाधनों का दोहन इस तरह नहीं होता जिससे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचे। यदि किसी कारणवश संसाधनों का अत्याधिक दोहन हो भी जाता तो नदी अपने तंत्र को स्वयं पुनः स्थापित कर लेती थी। आधुनिक युग में जिस तेजी और अनियोजित तरीके से नदी के समूचे पथ में नदी से प्राप्त मूल्यवान संसाधनों को नदी से छीना जा रहा है, उससे नदी का मूल स्वरूप ही बदलने लगा है और उनका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। वर्तमान में विभिन्न नदियों और नदियों के विभिन्न हिस्सों में संसाधनों और संसाधनों की पुनः स्थापित क्षमताओं का व्यवस्थित मूल्यांकन अनिवार्य है।

मनुष्यों के लिए मूल्यवान नदी संसाधनों की पहचान नदी पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में की जा सकती है जिसमें पानी (घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों के लिए), पोषक तत्व, भोजन, जैव विविधता, ऊर्जा, बाढ़ जल निकासी, नौकायन, अपशिष्ट निकासी जैसे विविध पहलू शामिल हैं। नदियों के सौंदर्य और धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व को भी नदी से प्राप्त लाभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। नदियों के पारिस्थितिक तंत्र की तरह ही उनसे प्राप्त संसाधन भी नदी के समूचे मार्ग में मात्रा और अनुपात में भिन्न होते हैं। इस प्रकार, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी और गोदावरी जैसी बड़ी नदियाँ, अपने स्वयं के विशिष्ट संसाधन होने के बावजूद, संसाधनों के वितरण में एक सामान पैटर्न प्रदर्शित कर सकती हैं क्योंकि नदी अपने ऊपरी स्रोत से अपने अंतिम गंतव्य समुद्र तक बहती है। नदी के अलग-अलग हिस्सों में और अलग-अलग समय अंतराल में नदी संसाधनों की खोज और मात्रात्मक आकलन संसाधनों के इष्टतम आवंटन में पहला कदम है।

दूसरी ओर नदी संसाधनों के निर्धारण में अलग-अलग क्षेत्रों में नदी के पास विभिन्न हितग्राहियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नदी संसाधनों पर पहला अधिकार नदी के जीव-जंतुओं का (उभयचर प्रजातियों सहित) है क्योंकि लगभग सभी नदी संसाधन उनके जीवन और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, नदी के जीवों के लिए आवश्यक संसाधन मात्रा और अनुपात में मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों से काफी भिन्न हो सकते हैं। इसलिए नदी के जीवों, मनुष्यों और अन्य स्थलीय जीवों के लिए नदी के संसाधनों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

विभिन्न हितधारकों को नदी के संसाधनों का निर्धारण करने की प्रक्रिया में यह ध्यान रखना होगा कि नदी के संसाधन परस्पर आश्रित होते हैं। नदी से एक संसाधन की निकासी अन्य संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए नदियों से पानी की निकासी तलछट प्रवाह, जैव विविधता, जल विद्युत क्षमता, नौकायन, सौंदर्य अपील, आदि को प्रभावित कर सकती है। इसी तरह नदी के तल से रेत खनन नदी के आकार और स्थिरता, आवास संरचनाओं और जैव विविधता, पानी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। नदी के संसाधनों के अंतर्संबंधों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का निर्धारण किफायती रूप से करना चाहिए जो दीर्घकालीन हो और नदी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। इतना ही नहीं नदी के किसी विशेष पाट (रिवर स्ट्रेच) से किसी चुनिंदा संसाधन के दोहन का नदी के अपस्ट्रीम (उपरी) और डाउनस्ट्रीम (निचले) में क्या प्रभाव पड़ता है और इसका पुनर्करण या पुनर्जन्म किस तरह होता है? इसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए ताकि संसाधनों का सुनियोजित उपयोग और दोहन निर्धारित किया जा सके।

शिखर सम्मेलन

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और गंगा नदी घाटी प्रबंधन और अध्ययन केंद्र (सी गंगा), आई आई टी कानपुर 9-14 दिसंबर 2021 के दौरान छठे इंडिया वॉटर इम्पैक्ट समिट का आयोजन कर रहे हैं। वर्तमान महामारी की स्थिति के कारण शिखर सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। जिसके कुछ कार्यक्रम अतिथि विद्वानों की मौजूदगी में नई दिल्ली में होंगे और कुछ कार्यक्रम ऑनलाइन सम्पन्न होंगे जिनमें आमंत्रित प्रतिभागी ऑनलाइन सम्मिलित होंगे।

इस साल, शिखर सम्मेलन बेसिन स्तर पर नदियों के प्रबंधन की जटिलताओं और विशिष्टताओं पर एक अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए प्रयासरत रहेगा। इस दौरान आयोजित विभिन्न व्याख्यानों और विमर्श में ऐसा मध्यममार्ग खोजने या बनाने की बात होगी जो नदी संसाधन, भौतिक विकास और नदी संरक्षण के समेकित लक्ष्यों की पूर्ति करता हो। सम्मेलन में मानव आवश्यकताओं के लिए नदी संसाधनों के उपयोग का व्यवस्थित मूल्यांकन करने और बजट बनाने पर चर्चा होगी। सही मूल्यांकन और उस पर आधारित बजट स्वस्थ नदी और स्वस्थ प्रवाह को सुनिश्चित करेगा। साथ ही नदी से पेयजल आपूर्ति, जलविद्युत उर्जा और पर्यटन, सिंचाई, वाणिज्यिक नौकायन, मत्स्य पालन, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे लाभ मनुष्य को लंबे समय तक मिलते रहें यह भी सुनिश्चित होगा। मूल्यांकन और बजटिंग भविष्य में बाढ़ प्रबंधन में भी सहायक सिद्ध होगी। बड़ी नदियों की लंबाई में इन कई लक्ष्यों के प्रबंधन के तौर-तरीकों को एक व्यापक योजना प्रक्रिया में शामिल करने का प्रस्ताव है। यह कार्ययोजना गंगा बेसिन के संदर्भ में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के चुनिंदा क्षेत्रों में छोटे और बड़े हितधारकों की जरूरतों और हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। गंगा बेसिन में आने वाले राज्य खासकर

दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल इन राज्यों को नदी संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल के लिए आपसी समन्वयन की आवश्यकता है।

शिखर सम्मेलन नदी बेसिन में प्रत्येक राज्य की विशिष्ट नदी संसाधन जरूरतों और नदी सेवा क्षमता के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, साथ ही सरकार, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और अन्य दलों द्वारा नदियों के समग्र और लाभकारी प्रबंधन में किए गए प्रयासों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

शिखर सम्मेलन, IWIS-2020 की तरह, "वित्त फोरम" की भी मेजबानी करेगा, एक विशेष ट्रैक जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों एवं नदी बहाली और संरक्षण कार्यक्रम (नमामि गंगे) में रुचि रखने वाले निवेशकों को एक साथ लाएगा।

2021 का शिखर सम्मेलन, पहले के शिखर सम्मेलनों की तरह, दुनिया भर की दर्जनों प्रौद्योगिकी और नवाचार कंपनियों को भी अवसर प्रदान करेगा, जो हमारी नदी घाटियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चिंताओं को दूर करने के लिए भारत में अपने समाधान लाने के इच्छुक हैं। टेक्नोलॉजी शोकेस (प्रदर्शन) पूरे शिखर सम्मेलन में चलेगा।

सीगंगा ने 2017 में कई टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी। टास्क फोर्स में दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल हैं जो विशिष्ट कार्य समूहों के माध्यम से अपना ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न टास्क फोर्स के सदस्य भी आपस में मिलेंगे और नियोजित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य की कार्ययोजना बनाएंगे।

2021 का इंडिया वॉटर इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन कई अन्य संगठनों के साथ आयोजित किया जा रहा है जो भारत में गंगा नदी और अन्य नदियों तथा जल निकायों और पर्यावरण के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।



5वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 का उद्घाटन (श्री रोजी अग्रवाल, श्री डी पी मथुरिया, श्री यू पी सिंह, सचिव, जल शक्ति; श्री राजीव रंजन मिश्रा, महानिदेशक, एनएमसीजी; माननीय रतन लाल कटारिया, राज्य मंत्री, जल शक्ति)



श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय मंत्री, जल शक्ति; श्री विनोद तारे, संस्थापना प्रमुख, सी-गंगा, डॉ राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग; श्री यू पी सिंह, सचिव, जल शक्ति; श्री राजीव रंजन मिश्र, महानिदेशक, एनएमसीजी; महामहिम सुश्री गायत्री कुमार, उच्चायुक्त, यूनाइटेड किंगडम; श्री सनमित आहूजा, विशेषज्ञ सदस्य, सी-गंगा; श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार; श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |

सम्मेलन के मुख्य आकर्षण

- राज्यों पर स्पॉटलाइट – आईडब्ल्यूआईएस के तीसरे शिखर सम्मेलन से ही गंगा से जुड़े समस्त राज्यों को एक मंच पर लाने का प्रयास जारी है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के प्रयासों को प्रदर्शित किया जा सके।
- भारत में पानी से संबंधित कुछ सबसे बड़ी समस्याओं के लिए मॉडल समाधान पर चर्चा, बहस और विकास करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक मंच।
- शिखर सम्मेलन दुनिया भर से और भारत के भीतर से नए तकनीकी नवाचारों, अनुसंधान, नीति ढांचे और निवेश मॉडल का प्रदर्शन करेगा।
- वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, उद्योग, वित्त और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने के लिए नागरिक समाज और आस्था के नेताओं के लिए मंच।
- जल क्षेत्र में भारत के अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए बहु-देशीय संवाद।
- 25 से अधिक विषयों पर गहराई से चर्चा करने के लिए कई समानांतर ट्रैक:
 - विज्ञान और अनुसंधान
 - इंजीनियरिंग और संचालन
 - प्रौद्योगिकी, नवाचार, कौशल और उद्यमिता
 - नीति, कानून और शासन
 - वित्त और निवेश

Summit at a Glance

Summit Plenaries	Special Sessions
<p>Session P1 – Inaugural Session: “River Resources Allocation - Planning and Management at the Regional Level - Overall Basin”</p> <p>This session includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Special Announcements including strategic international projects ➤ Launch of Projects including sludge management, sustainable agriculture, circular economy initiatives and waste-water trading ➤ Release of Reports: <ul style="list-style-type: none"> - Economics of Sludge - Technology Acceleration through ETV Process - Full Proceedings of 5th IWIS 	<p>Session P2 – “River Resources Allocation - Planning and Management at the Regional Level - Upper Segment” <i>organised jointly with States having Upper Segment of Major Rivers.</i></p> <p>Session P3 – “River Resources Allocation - Planning and Management at the Regional Level Middle Segment” <i>organised jointly with States having Middle Segment of Major Rivers.</i></p> <p>Session P4 – “River Resources Allocation - Planning and Management at the Regional Level - Lower Segment” <i>organised jointly with States having Lower Segment of Major Rivers.</i></p> <p>Session P5 – “River Resources Allocation - Planning and Management at the Regional Level - Deltaic Region” <i>organised jointly with States having Upper Segment of Major Rivers.</i></p> <p>Session P6 – Valedictory Session</p>

TRACK A Science, Technology & Policy	TRACK B Finance & Economics	TRACK C Technology & Innovation
<p>Session A1 – River Goods and Services vis-à-vis Anthropocentric Interventions for Basin Resource Planning</p> <p>Session A2 – Roles and Responsibilities for River Resource Assessment and Monitoring</p> <p>Session A3 – Strategies to Balance River Resource Conservation with Anthropogenic Interventions</p> <p>Session A4 – Empowering Local and Small Stakeholders for Sustainable River Resource Management</p> <p>Session A5 – Methodological and Policy Measures for Resource Allocation Planning and Plan Implementation</p>	<p>Session B1 – Economics and Financing of Sludge</p> <p>Session B 2 – Economics and Financing of Sustainable Agriculture</p> <p>Session B3 – Economics and Financing of Water Recycling and Water Trading Market</p> <p>Session B4 – Economics and Financing of Circular Economy</p>	<p>Session C1 – C5: Technology & Innovation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digital Water - Data and Information - Decentralised Wastewater treatment - Sustainable Agriculture - Sustainable Hydropower - Green hydrogen - Waste to Hydrogen - Waste to biogas - Carbon Capture in STPs - Drinking water systems - Energy Efficiency systems - Inland-water Navigation Systems

TRACK D International	TRACK D InternationalContinued	TRACK E Policy, Law & Governance
<p>Session D1 – Norway “Collaboration on Sludge, Hydrogen and marine pollution”</p> <p>Session D2 – BRICS “Knowledge sharing and capacity building through Network of Universities/Institutes”</p> <p>Session D3 – EU “Multi-faceted partnership on water security – including river basin management and circular economy”</p>	<p>Session D3 – USA “Digital Water”</p> <p>Session D4 – Australia “Managing water rights”</p> <p>Session D5 – UK “Economics of water”</p> <p>Session D6 – Japan “Urban water and waste-water management”</p>	<p>Session E1 – Challenges for Policy, Law & Governance for River Resource Allocation Planning For holistic management of human activities in entire basin to ensure adequate river resource generation.</p> <p>Session E2 – Holdups in Policy, Law & Governance for River Resource Allocation Plan Implementation For equitable river services to stakeholders across administrative boundaries and timeframes.</p>

Summit Timetable

Time	Day 1 Thu, Dec 9	Day 2 Fri, Dec 10	Day 3 Sat, Dec 11	Day 4 Mon, Dec 13	Day 5 Tue, Dec 14
09:30 – 10:45	Pre-Summit Session <i>MOUs, Key Announcements</i>	E-1 Bottlenecks in Policy, Law & Governance	E-2 Bottlenecks in Policy, Law & Governance	D5 International Australia	D7 International Japan
10:45 – 11:00	Break				
11:00 – 13:00	P-1 Inaugural Session River Resources Allocation Overall Basin	P-2 Plenary Session River Resources Allocation Upper Segment	P-3 Plenary Session River Resources Allocation Middle Segment	P-4 Plenary Session River Resources Allocation Lower Segment	P-5 Plenary Session River Resources Allocation Deltaic Region
13:00 – 14:00	Break				
14:00 – 15:45	A-1 River Goods and Services vis-à-vis Anthropocentric Interventions for Basin Resource Planning	A-2 Roles and Responsibilities for River Resource Assessment and Monitoring	A-3 Strategies to Balance River Resource Conservation with Anthropogenic Interventions	A-4 Empowering Local and Small Stakeholders for Sustainable River Resource Management	A-5 Methodological and Policy Measures for Resource Allocation Planning and Plan Implementation
	C-1 – C5: ETV: Novel & Noble Solutions				
15:45 – 16:00	Break				
16:00 – 17:45	B-1 Economics & Financing of <i>Sludge</i>	B-2 Economics & Financing of <i>Sustainable Agriculture</i>	B-3 Economics & Financing of <i>Water Recycling and Water Trading Market</i>	B-4 Economics & Financing of <i>Circular Economy</i>	P-6 Valedictory Session
17:45 – 18:00	Break				
18:00 – 19:00	D1 International Norway	D3 International EU	D4 International USA	D6 International UK	
19:00 – 20:00	D2 International BRICS				

सभी प्लेनरी "P" और "A" सत्र शिखर सम्मेलन के विषय पर केंद्रित होंगे और इसमें पूरे बेसिन के साथ-साथ क्षेत्र के अनुसार ऊपरी खंड (आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र), मध्य खंड (आमतौर पर उच्च तल), निचला खंड (आमतौर पर निचला तल) और नदी बेसिन का डेल्टा क्षेत्र पर विचार-विमर्श होगा।

सत्र विवरण

1. Plenary Sessions

प्लेनरी सत्रों में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी

Session P1 Day 1: Thursday, December 9, 2021 11:00 – 13:00 hrs	उद्घाटन सत्र: नदी संसाधन निर्धारण - बेसिन स्तर पर योजना और प्रबंधन <p>विशाल नदी तंत्र की विविध जलवायु और भूवैज्ञानिक समन्वय नदी संसाधनों को बहुरूपिता प्रदान करती है जिसने मानव समुदाय को सदियों से आज तक समृद्ध बनाया है। आधुनिक समय में संसाधनों का अतिदोहन और दुरुपयोग के चलते यह आवश्यक है कि नदी के समूचे बेसिन में नदी से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग में क़िफ़ायत बरती जाए। इसके लिए नदी संरक्षण सुनिश्चित करने, नदी के विभिन्न हिस्सों और उसकी सहायक नदियों के लिए आवश्यक नदी संसाधनों के साथ देश की विकासात्मक आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता है।</p>
Session P2 Day 2: Friday, December 10, 2021 11:00 – 13:00 hrs	नदी संसाधन निर्धारण – क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन ऊपरी खंड गंगा नदी का सबसे ऊपरी भाग उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ हिमालय की कई प्रमुख धाराएँ उत्तर भारत के जलोढ़ मैदानों में प्रवेश करने से पहले गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अपेक्षाकृत खड़ी ढलानों और संकरी घाटियों के साथ, जलग्रहण क्षेत्र में सीमित मानवजनित प्रभाव और साल भर प्रवाह ऐसे कारक हैं जो नदी से जल-विद्युत उत्पादन, पर्यटन और मनोरंजन, सिंचाई और रेत खनन जैसी गतिविधियों के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। हालांकि, ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नदी की अपनी संसाधन जरूरतों और निचले हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ योजना बनाई जानी चाहिए।
Session P3 Day 3: Saturday, December 11, 2021 11:00 – 13:00 hrs	नदी संसाधन निर्धारण – क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन मध्य खंड गंगा नदी के मध्य खंड का ऊपरी भाग उत्तर प्रदेश के जलोढ़ मैदानों में स्थित है, जहाँ रामगंगा और यमुना जैसी कई बड़ी सहायक नदियाँ, नदी को समृद्ध करती हैं। सिंचाई की निकासी, अपशिष्ट जल और प्रदूषक निपटान, मछली पकड़ने और रेत खनन जैसे मानवजनित प्रभावों और हस्तक्षेपों के कारण नदी की अपने पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने की क्षमता खतरे में पड़ गई है। जिसके चलते मानव के लिए नदी के संसाधनों के क़िफ़ायती उपयोग की व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है।
Session P4 Day 4: Monday, December 13, 2021 11:00 – 13:00 hrs	नदी संसाधन निर्धारण – क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन निचला खंड मध्य गंगा खंड का निचला हिस्सा ज्यादातर बिहार में स्थित है, जहाँ हिमालय और मध्य भारतीय पहाड़ों से निकलने वाली बड़ी सहायक नदियाँ संसाधन-समृद्ध नदी को एक शक्तिशाली प्रवाह में बदल देती हैं। अपनी हिमालयी सहायक नदियों के उच्च गाद भार के साथ, बिहार में गंगा और कई अन्य नदियाँ बाढ़ की पुनरावृत्ति के साथ-साथ सिंचाई के स्रोत, वाणिज्यिक नौकायन, मछली पकड़ने समेत कई अन्य लाभों का एक प्रमुख कारण हैं। हालांकि, विभिन्न जरूरतों के लिए नदी में मानव हस्तक्षेप को सीमित करने और नदी के अपने संसाधनों को पुनर्कृत करने और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पहुंच के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
Session P5 Day 5: Tuesday, December 14, 2021 11:00 – 13:00 hrs	नदी संसाधन निर्धारण – क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन डेल्टाई क्षेत्र गंगा नदी का सबसे निचला मुहाना खंड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जलोढ़ डेल्टा में स्थित है, जहां नदी तेजी से विभाजित और उप-विभाजित होती है, जो पंखे के आकार के जलोढ़ निक्षेप में फैलती है। कोमल ढलान के अलावा, नदी का प्रवाह उच्च और निम्न समुद्री ज्वार से प्रभावित होता है जिसके परिणाम स्वरूप नदी के मीठे पानी के प्रवाह के साथ खारे समुद्री जल का प्रवेश और मिश्रण होता है। सिंचाई, नौवहन और मछली पकड़ना इन क्षेत्रों में मूल्यवान नदी सेवाओं में से हैं, लेकिन विभिन्न मानवजनित गतिविधियों और हस्तक्षेपों के प्रभाव को नदी के मुहाने पर अपस्ट्रीम नदी और डाउनस्ट्रीम समुद्र की संसाधन आवश्यकता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।
Session P6 Day 5: Tuesday, December 14, 2021 16:00 – 17:45 hrs	समापन सत्र

भागीदारी

भारत सरकार एवं राज्य सरकारें

(भागीदारी के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की सहमतियां लगातार मिल रही हैं, नवंबर माह के अंत या दिसंबर के प्रारंभ में इसके बारे में आधिकारिक घोषणा की जाएगी।)

- जलशक्ति मंत्रालय
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
- सी गंगा / आईआईटी कंसोर्टियम
- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
- राज्य सरकारें और विभिन्न नगर निकायों के प्रतिनिधी
- विभिन्न विषय विशेषज्ञ

अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता

- विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल और विषय विशेषज्ञ
(भागीदारी के संबंध में विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल की सहमति प्राप्त हो रही है जिसकी आधिकारिक घोषणा नवंबर के अंत या दिसंबर माह के प्रारंभ में की जाएगी)

2 विषयगत सत्र

विषयगत सत्रों के प्रारूप में विषय पर चुनिंदा आमंत्रित व्याख्यान, शोधपत्र शामिल होंगे, जिसके बाद सत्र में भाग लेने वाले प्रस्तुतकर्ताओं, विशेषज्ञों और टॉस्क फोर्स के प्रतिनिधियों के बीच गहन चर्चा होगी। सत्र के अध्यक्ष को विचार-विमर्श को सारांशित करने और अंतिम दिन पूर्ण सत्र में उपस्थित रहना होगा

TRACK A – SCIENCE, TECHNOLOGY & POLICY

Session A1 Day 1: Thursday, December 9, 2021 14:00 – 15:45 hrs	बेसिन संसाधन योजना और मानवीय हस्तक्षेप नदियों से मिलने वाले बहुआयामी लाभ जैसे जल उर्जा, मछली उत्पादन, सिंचाई, वाणिज्यिक नौकायन, नहरों के निर्माण, रेत प्राप्ति आदि के कारण नदी के परितंत्र में मानव का हस्तक्षेप कई गुना बढ़ गया है। मानवीय हस्तक्षेप के बढ़ जाने से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ा है। यही कारण है कि आज हमें नदी से लाभ, नदी के संसाधन और नदी के पारिस्थितिक तंत्र और उनके बीच मानवीय हस्तक्षेप की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
Session A2 Day 2: Friday, December 10, 2021 14:00 – 15:45 hrs	नदी संसाधन आकलन और निगरानी के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां चूंकि नदी संसाधन और नदियों की परिणामी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं समय के साथ और नदियों की लंबाई के साथ महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती हैं, इसलिए नदी संसाधन प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना विकसित करने से पहले संसाधनों का व्यवस्थित मूल्यांकन और आविष्कार किया जाना चाहिए। पर्याप्त और उचित संसाधन मूल्यांकन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को चाक-चौबंद करना आवश्यक है।
Session A3 Day 3: Saturday, December 11, 2021 14:00 – 15:45 hrs	मानवजनित हस्तक्षेपों के साथ नदी संसाधन संरक्षण को संतुलित करने की रणनीतियाँ विशिष्ट नदी संसाधनों के चुनिंदा अति-दोहन ने निश्चित रूप से विस्तारित समय अवधि में कई नदी संसाधनों के भारी नुकसान का कारण बना है। उपयुक्त वैज्ञानिक तकनीकों को विकसित किया जा सकता है जो नदी के संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ संसाधनों के उपयोग के लिए मानवजनित हस्तक्षेपों को स्वस्थ नदी के कामकाज और टिकाऊ संसाधनों के उपयोग को एक साथ सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। हालांकि, इस तरह के उपायों को उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियों और वित्तीय कार्यों के माध्यम से लागू करने की आवश्यकता है।
Session A4 Day 4: Monday, December 13, 2021 14:00 – 15:45 hrs	सतत नदी संसाधन प्रबंधन के लिए स्थानीय और छोटे हितधारकों को सशक्त बनाना नदी के तटवर्ती समुदायों का नदियों के साथ पुराना और घनिष्ठ संबंध होता है। स्थायी नदी संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने में उनकी प्रधानता को देखते हुए, उन्हें स्थानीय स्तरों पर पर्याप्त रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर समग्र संरक्षण उपायों की देखरेख सरकार, शैक्षिक-अनुसंधान संस्थान और इच्छुक नागरिक करते हैं। स्थानीय नदी के हिस्सों, छोटी नदियों और बड़े नदी घाटियों में जल निकायों के संरक्षण के लिए अन्य हितधारकों की तुलना में स्थानीय हितधारकों की पहचान और सशक्तिकरण संरक्षण के उपायों को स्थायित्व देता है।
Session A5 Day 5: Tuesday, December 14, 2021 14:00 – 15:45 hrs	संसाधन निर्धारण योजना और योजना कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली और नीतिगत उपाय नदी संसाधनों का सतत निर्धारण मानव संसाधन की जरूरतों के मूल्यांकन और अन्य दावेदारों पर इस तरह के उपयोग को आवश्यक बनाता है – विशेष रूप से नदी के जीवों के लिए। नदी प्रक्रियाओं और सामाजिक धारणाओं और जरूरतों की सीमित समझ को देखते हुए, स्थानीय और क्षेत्रीय जरूरतों और संस्थागत विशेषज्ञता के साथ नदियों की वैज्ञानिक समझ को मिलाकर एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। नदियों की अत्यधिक गतिशील प्रकृति को देखते हुए, उपयुक्त नीति नियोजन और प्रबंधन की सावधानीपूर्वक रणनीति बनाना अनिवार्य है।

TRACK B – FINANCE AND ECONOMICS**Session B1**

Day 1: Thursday,
December 9, 2021
16:00 – 17:45 hrs

कीचड़/ मल का अर्थशास्त्र और वित्तपोषण

जैसे-जैसे देश में मलजल शोधन संयंत्रों की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे कीचड़ की मात्रा भी बढ़ेगी। हालांकि कीचड़ प्रबंधन अपशिष्ट जल उपचार सुविधा का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए, लेकिन देश में हजारों एसटीपी ऐसे हैं जहां साइट पर कीचड़ उपचार नहीं होता है।

- पुरानी सुविधाओं के लिए मामले में रेट्रोफिट मॉडल कैसे काम करता है और इन्हें कैसे वित्तपोषित किया जाएगा।

- शहरीकरण में वृद्धि के साथ, शहर कीचड़ की मात्रा में वृद्धि का सामना कैसे करेंगे। क्या उन्हें समर्पित कीचड़ उपचार केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि हां, तो वे कौन सी अपेक्षित शर्तें हैं जिनके तहत उन्हें वित्तपोषित किया जाएगा?

केस स्टडी

सीगंगा और एनएमसीजी ने कीचड़ के उपचार और प्रसंस्करण के लिए कई रणनीतिक पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं। दुनिया भर के हरित-निवेशकों के सहयोग से इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सुविधा स्थापित की जा रही है।

Session B2

Day 2: Friday,
December 10, 2021
16:00 – 17:45 hrs

कृषि का अर्थशास्त्र और वित्तपोषण

नदी तंत्र उसके बेसिन में हो रही कृषि और कृषि के उपयोग में आने वाले जल की मात्रा और गुणवत्ता के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। उत्तरी भारत में कृषि कार्य में समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक पानी का उपयोग होता है। ऐसा सिंचाई की पुरानी पद्धतियों और फसलों के प्रकार के कारण होता है उदाहरण के तौर पर चावल जो बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। सिंचाई और कृषि प्रणालियों के प्रति कृषक समुदाय के भीतर दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलना आसान नहीं है। इसके लिए तकनीक आधारित नावाचारों की आवश्यकता है जो किसानों की एक नई पीढ़ी तैयार कर सके। एक ऐसे मॉडल की दरकार है जो मौजूदा किसानों के दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम हो और निम्न सवालों के जवाब खोज सके।

- प्रौद्योगिकी नवाचार कृषि क्षेत्र में परिवर्तन कैसे ला सकता है?
- जल दक्ष समाधानों का क्षेत्र के समग्र जल संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

केस स्टडी

सीगंगा और एनएमसीजी ने उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है जो पानी की बचत करने के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन प्रदान करती हैं। इस संदर्भ में वित्तपोषण संस्थानों के साथ साझेदारी में एक प्रमुख सुविधा स्थापित की जा रही है।

Session B3

Day 3: Saturday,
December 11, 2021
16:00 – 17:45 hrs

जल पुनर्चक्रण और जल बाजार का अर्थशास्त्र और वित्तपोषण

जल बाजार को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, न केवल मूल्य निर्धारण बल्कि एक सुदृढ़ बाजार स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए इन बिंदुओं पर गहन चिंतन की आवश्यकता है।

- अपशिष्ट जल व्यापार योजनाएँ स्थापित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?
- मूल्य निर्धारण और व्यवसाय को कौन और किस तरह नियंत्रित करेगा?

उपकरण और सुविधा केस स्टडी

सीगंगा औद्योगिक ऑफ-टेकर्स और अपशिष्ट जल के उत्पादन के उत्तरदायी उद्योगों के बीच व्यापार के लिए एक पायलट योजना विकसित कर रहा है।

Session B4

Day 4: Monday,
December 13, 2021
16:00 – 17:45 hrs

चक्रिय अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र और वित्तपोषण

चक्रिय अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में प्रवेश करने के लिए, नीति नियमों की स्पष्टता के साथ, आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना जरूरी है जो आर्थिक व्यवहारिकता को मजबूती प्रदान करे। साथ ही प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का संसारण भी आवश्यक है जो कि मूल्य श्रृंखला को सक्षम बना सके। उक्त सत्र में इन प्रश्नों पर चिंतन होगा

- भारत में चक्रिय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में क्या बाधाएं आई हैं?
- विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट श्रेणियों के लिए आवश्यक विभिन्न सक्षम शर्तें क्या हैं: उदाहरण प्लास्टिक, खाद्य-अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, टायर, निर्माण अपशिष्ट, आदि।

उपकरण और सुविधा केस स्टडी

कई प्रौद्योगिकी कंपनियों और संस्थानों के साथ साझेदारी में सीगंगा ने तकनीकी समाधान विकसित किये हैं, जिनके बेहतर नतीजे भी सामने आए हैं।

- टायर रीसाइक्लिंग
- हाइड्रोजन के लिए अपशिष्ट
- प्लास्टिक व्यापार सुविधाएं

TRACK C – TECHNOLOGY&INNOVATION

Session C1 to C5

Day 1 through Day 5
14:00 – 15:45 hrs

यह ट्रैक दुनिया भर की कंपनियों को अपनी अत्याधुनिक तकनीकों और नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर देगा, जिसमें नदी बेसिन में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है। 2021 का शिखर सम्मेलन तीन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगाः

- डिजिटल पानी
- डेटा और सूचना
- विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार
- स्थायी कृषि
- सतत जलविद्युत
- हरा हाइड्रोजन – अपशिष्ट से हाइड्रोजन – अपशिष्ट से बायोगैस
- एसटीपी में कार्बन कैप्चर
- पेयजल व्यवस्था
- ऊर्जा दक्षता प्रणाली
- अंतर्देशीय-जल नेविगेशन सिस्टम

TRACK D – INTERNATIONAL

Session D1

Day 1: Thursday,
December 9, 2021
18:00 – 19:00 hrs

नॉर्वे

हाल ही में सीगंगा ने अपशिष्ट जल प्रबंधन का ढांचा करने के लिए **NIBIO** (नॉर्वे) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हमारा सहयोग (गठबंधन) अब विभिन्न शहरों के लिए स्लज मास्टर-प्लान का आकलन करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजनाओं के प्रदर्श लागू करने के लिए विस्तार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोजन संबंधी साझेदारी और समुद्री प्रदूषण पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।

Session D2

Day 1: Thursday,
December 9, 2021
19:00 – 20:00 hrs

BRICS राष्ट्र

BRICS राष्ट्र (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) संयुक्त रूप से "जल संसाधन प्रबंधन" चला रहे हैं। यह सत्र ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के सहयोग पर केंद्रित होगा।

Session D3

Day 2: Friday,
December 10, 2021
18:00 – 19:00 hrs

यूरोपीय संघ और सदस्य राज्य

यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देश जल संसाधनों के प्रबंधन के कई पहलुओं पर भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें नदी बेसिन योजना, डेटा और सूचना प्रणाली, ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन और कई अन्य शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह सत्र पानी के आसपास यूरोपीय संघ के साथ बहुआयामी साझेदारी को उजागर करेगा।

Session D4

Day 3: Saturday,
December 11, 2021
18:00 – 19:00 hrs

अमेरीका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के दृष्टिकोण तक, अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में नवीन तकनीकों और समाधानों में तेजी लाने के लिए अपने भारतीय साथियों के साथ साझेदारी करने का लक्ष्य बना रही हैं। सत्र विभिन्न पहलों और साझेदारियों को उजागर करेगा जो कि अस्तित्व में आ चुकी हैं या आने की तैयारी में हैं।

Session D5

Day 4: Monday,
December 13, 2021
09:30 – 10:45 hrs

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ने एक निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यापार योजना बनाकर पानी के अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है जो पानी के अधिकारों को नियंत्रित और मुद्रीकृत करने की अनुमति देता है। यह सत्र ज्ञान साझा करने और जल अधिकार प्रबंधन के इर्द-गिर्द साझेदारी बनाने पर केंद्रित होगा।

Session D6

Day 4: Monday,
December 13, 2021
18:00 – 19:00 hrs

यूनाइटेड किंगडम

हाल ही में सीगंगा ने पानी और पर्यावरण क्षेत्र में 21वीं सदी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर यूके के उद्योग के लिए एक पुल बनाने के लिए ब्रिटिश वाटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूके में स्वच्छ गंगा प्रदर्शनी ने स्वच्छ गंगा कार्यक्रम में भाग लेने और समर्थन करने के लिए भारतीय प्रवासी सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करने के लिए एक अभूतपूर्व मंच और खाका भी बनाया है। यूके अपने हरित विकास एजेंडे को वित्तपोषित करने के लिए वैश्विक पूंजी आधार में भारत की मदद करने के लिए एक प्रमुख भागीदार भी बन रहा है। सत्र इस बात पर प्रकाश डालेगा कि साझेदारी को कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

Session D7

Day 5: Tuesday,
December 14, 2021
09:30 – 10:45 hrs

जापान

भारत में तेजी से शहरीकरण के साथ, शहरी जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और अपशिष्ट जल के उपचार की आवश्यकता अब तक के उच्चतम स्तर पर है। जापान के साथ संवाद शहरी जल के कुशल प्रबंधन और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रित होगा।

TRACK E– Bottlenecks in Policy, Law & Governance

Session E1 Day 2: Friday, December 10, 2021 09:30 – 10:45 hrs	नदी संसाधन निर्धारण योजना में महत्वपूर्ण समस्या, चाहे बड़े बेसिन पैमाने पर या अधिक छोटे जलग्रहण पैमाने पर, इन संसाधनों के बारे में बेसिन और मानवजनित गतिविधियों में नदी के संसाधनों के पर्याप्त और विश्वसनीय डेटा तक पहुंच है। दूसरी बड़ी समस्या संसाधन आवंटन योजना में छोटे और सीमांत हितधारकों जैसे नदी तट समुदायों और नदियों (जैसे नाविक, मछुआरे और नदी किनारे किसान) के साथ जीवन निर्वाह करने वालों के हितों को समायोजित करने की है।
Session E2 Day 3: Saturday, December 11, 2021 09:30 – 10:45 hrs	नदी संसाधन निर्धारण योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण समस्या, चाहे बड़े बेसिन पैमाने पर या छोटे जलग्रहण पैमाने पर हो, यह कार्यान्वयन संभवतः मौजूदा प्रशासनिक और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा जो (i) प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र (जैसे जिला और राज्य की सीमाएं) द्वारा शासित हैं।) और (ii) मौजूदा कानून और नीतियां जो नदी संसाधनों को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, नदी संसाधन प्रत्यक्ष मानवजनित हस्तक्षेपों और बेसिन में मानव गतिविधियों, जैसे भूमि उपयोग और भूजल अवशोषण / पुनर्भरण से प्रभावित होते हैं, जो नदियों से असंबंधित कानूनों के तहत कवर किए जा सकते हैं।

हमसे जुड़ें

अ. शिखर सम्मेलन के दौरान भागीदारी मॉडल

सामरिक भागीदारी योजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से आपके प्रयासों, समाधानों, ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए शिखर सम्मेलन एक बहु-विषयक मंच है। ये हैं:

1. सामरिक भागीदारी

यह जुड़ाव मोड सभी स्तरों (केंद्रीय, राज्य, नगरपालिका), सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, बहुपक्षीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और नींव के सरकारी विभागों के लिए है, जो नदी बहाली और संरक्षण कार्यक्रमों के लिए भारत के साथ अपने रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना चाहते हैं। इसमें एक विशेष रिपोर्ट जारी करना, एक परियोजना शुरू करना, काम के चुनिंदा क्षेत्रों या अन्य पहलों को उजागर करना शामिल हो सकता है।

2. प्रायोजन

निजी क्षेत्र की कंपनियों या संस्थाओं के लिए जो ब्रांड पहचान चाहते हैं, शिखर सम्मेलन नेटवर्किंग कार्यक्रमों की मेजबानी, विशेष समाधान और अन्य शोकेस सहित कई अवसर प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया समिट टीम से संपर्क करें।

3. प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रदर्शन

जिन कंपनियों या संगठनों ने समाधान विकसित किए हैं, जिनमें भारतीय नदी घाटियों में उच्च प्रभाव की संभावना है, उन्हें हितधारकों, संभावित भारतीय भागीदारों और निवेशकों को प्रस्तुत करने का अवसर मिल सकता है।

4. नॉलेज पार्टनर

पेशेवर सेवा फर्मों और ज्ञान-उन्मुख संस्थानों को शिखर सम्मेलन के दौरान कई विशेष रिपोर्ट तैयार करने और लॉन्च करने के साथ-साथ विभिन्न शिखर सम्मेलन सत्रों का आयोजन और आयोजन करने के लिए सीगंगा और एनएमसीजी के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

अ. चल रहे भागीदारी मॉडल

विभिन्न मौजूदा जुड़ाव मॉडल हैं जो भागीदारों को गंगा नदी बेसिन के साथ विभिन्न स्पर्श बिंदुओं को खोजने में सक्षम बनाते हैं। ये हैं:

1. कार्यकारी समूह और कार्य दल

इच्छुक पार्टियां अपने नए विचारों को समर्पित कार्यबलों और कार्य समूहों के माध्यम से प्रसारित कर सकती हैं। इन समूहों में गहन विचार-विमर्श होता है जिसे सरकार और विभिन्न हितधारकों को प्रस्तुत किए गए श्वेत-पत्रों के रूप में संक्षेपित किया जाता है। कार्य समूह 5 प्रमुख कार्य बलों का एक उप-समूह है: (i) विज्ञान और अनुसंधान (ii) इंजीनियरिंग और संचालन (iii) प्रौद्योगिकी, नवाचार, उद्यमिता और कौशल (iv) नीति, कानून और शासन (v) वित्त और निवेश

2. पायलट/प्रदर्शन परियोजनाएं

नदी बहाली और संरक्षण कार्यक्रमों में अपने समाधान पेश करने में रुचि रखने वाली कंपनियों पायलट/प्रदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से ऐसा कर सकती हैं। हालांकि उन्हें पहले पर्यावरण प्रौद्योगिकी सत्यापन (ईटीवी) प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह हितधारकों को प्रौद्योगिकियों का आकलन करने और पैसे के मूल्य का पता लगाने की अनुमति देता है।

3. अंतरराष्ट्रीय अध्याय और रोड शो

सीगंगा और एनएमसीजी नियमित रूप से आउटरीच और जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देश भारत में अपने सामूहिक नवाचारों और हितों को प्रसारित करने के लिए अपने स्वयं के देश के स्थानीय संदर्भ स्थापित कर सकते हैं।

शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु सूचना

- शिखर सम्मेलन में भागीदारी केवल निमंत्रण द्वारा ही की जा सकती है
- पंजीकरण 8 नवंबर 2021 को खुलेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.cganga.org देखें।
- पंजीकरण का प्रयास करने से पहले प्रतिभागियों के पास आयोजकों की ओर से दिया गया औपचारिक निमंत्रण होना आवश्यक है।
- पंजीकरण केवल विशेष या समर्पित "पंजीकरण कोड" का उपयोग करके ही संभव है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं:
 - ❖ उनके देश के आधिकारिक भागीदारी चैनल
 - ❖ ट्रेक सी में प्रजेंटेशन स्लॉट
 - ❖ यदि आपके राष्ट्र का औपचारिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है तो कृपया एक औपचारिक अनुरोध भेजें ताकि एक निमंत्रण तैयार किया जा सके।
- मीडिया पार्टनर्स दिए गए विशेष पंजीकरण कोड का उपयोग करके ही मान्यता प्राप्त और पंजीकृत हो सकेंगे।
- शिखर सम्मेलन के सभी निमंत्रण 8-26 नवंबर 2021 के दौरान जारी किए जाएंगे। यदि आपको निमंत्रण नहीं मिला है, तो कृपया शिखर सम्मेलन के आयोजकों से संपर्क करें।
- पंजीकरण करने के लिए आपके पास एक विशेष पंजीकरण कोड होना चाहिए जो या तो आपके सरकारी विभाग, संगठन, प्रतिनिधिमंडल के नेता द्वारा या शिखर सम्मेलन में आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से प्रदान किया गया हो।
- पंजीकरण करने के लिए आपके पास एक विशेष पंजीकरण कोड होना चाहिए जो या तो आपके सरकारी विभाग, संगठन, प्रतिनिधिमंडल के नेता द्वारा या शिखर सम्मेलन में आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से प्रदान किया गया हो।

संपर्क करें

- सामान्य पूछताछ और भागीदारी अनुरोध:
 - ❖ iwis@cganga.org
- भारत सरकार से संबंधित प्रश्नों के लिए:
 - ❖ Dr Vinod Tare: vinod.tare@cganga.org
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और शिखर सम्मेलन भागीदारी के लिए:
 - ❖ iwis@cganga.org
- मीडिया पूछताछ के लिए:
 - ❖ media@cganga.org

आयोजकों का परिचय



सत्यमेव जयते
Government Of India



राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

नमामि गंगे राष्ट्रीय गंगा परिषद की देख-रेख में चलने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे अक्टूबर 2016 में गंगा प्राधिकरण आदेश 2016 के तहत स्थापित किया गया था। प्रारंभ में एनएमसीजी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (NGRBA) जिसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA) 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय गंगा नदी पुनरुद्धार, संरक्षण एवं प्रबंधन परिषद (जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाता है) के गठन के परिणामस्वरूप एनजीआरबीए 7 अक्टूबर 2016 को प्रभावी तौर पर भंग कर दिया गया और गंगा प्राधिकरण आदेश 2016 के द्वारा एनएमसीजी का वर्तमान स्वरूप अक्टूबर 2016 में सामने आया।

www.nmcg.in



गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र (cGanga)

सीगंगा एनएमसीजी के तत्वावधान में गठित एक थिंक टैंक और उत्कृष्टता का केंद्र है, और इसके घोषित उद्देश्यों में से एक भारत को नदी और जल विज्ञान में के क्षेत्र में अग्रणी बना है। केंद्र का मुख्यालय आई आई टी कानपुर में है और इसमें देश के अधिकांश प्रमुख विज्ञान और तकनीकी संस्थानों का प्रतिनिधित्व है। cGanga का अधिदेश आई आई टी कंसोर्टियम द्वारा तैयार गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना (GRBMP) के कार्यान्वयन और गतिशील विकास में थिंक-टैंक के रूप में कार्य करना है। इसके अलावा यह भारत में जल क्षेत्र के लिए नई तकनीकों और नवाचारों के साथ-साथ नई नीति, शासन और वित्तीय समाधान पेश करने के लिए भी जिम्मेदार है।

www.cganga.org